

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4420
जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है
भार और माल-ढोने वाले वाहनों का निरीक्षण

4420. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि 22 फरवरी, 2025 को मालेगांव के दरेगांव क्षेत्र में सर्विस रोड पर एक ट्रक के ऑटोरिक्शा पर पलट जाने से हुई दुर्घटना में दो छात्रों और एक ऑटोरिक्शा चालक सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या पलटने वाले ट्रक पर ज्यादा माल लदा हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भार ढोने वाले और माल ढोने वाले वाहनों का वजन जांचने के लिए नियमित निरीक्षण करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही मालेगांव में या उसके आस-पास इसके लिए कितनी जांच चौकियाँ हैं;

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में इस प्रकार की यातायात दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिन के समय या कार्य समय के दौरान शहर की सड़कों पर भारी वाहनों के प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही को प्रभावी ढंग से रोकने में विधि प्रवर्तन अभिकरणों की स्पष्ट उदासीनता के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ.) अगस्त, 2019 में लागू किए गए मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, सड़कों या किसी राज्य के भीतर किसी भी शहरी नगर, जिसकी आबादी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं में हो, में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, मंत्रालय ने अगस्त, 2021 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों पर उच्च जोखिम वाले और अधिक सघनता वाले गलियारों तथा भारत के दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत आने वाले शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर सड़क सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम प्रकाशित किए हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण" का तात्पर्य स्पीड कैमरा, क्लोज-

सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वजन मापने की मशीन (डब्ल्यूआईएम) और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी कोई अन्य तकनीक है।

केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के परिवहन आयुक्त और पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर उक्त दुर्घटना का विवरण इस प्रकार है:-

उक्त दुर्घटना 22/02/2025 को मुंबई-आगरा राजमार्ग पर सर्विस रोड पर हुई। राज्य पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार, विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के चालक ने लापरवाही से एसटी बस को साइड से टक्कर मारी और फिर बस के पीछे चल रहे ऑटोरिक्षा पर पलट गया। इसके परिणामस्वरूप, दो छात्रों और ऑटोरिक्षा चालक की मृत्यु हो गई।

जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि दुर्घटना वाहन में तकनीकी खराबी के कारण नहीं हुई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रक का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) 35,000 किलोग्राम और बिना लदे वजन (यूडब्ल्यू) 9300 किलोग्राम है। इस प्रकार, ट्रक की भार वहन क्षमता 25,700 किलोग्राम है। वाहन 21,000 किलोग्राम माल ले जा रहा था। इसलिए, दुर्घटना के समय ट्रक ओवरलोड नहीं था।

उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मालेगांव ने पांच तालुकाओं, कलवान, बगलान, मालेगांव, देवला और नंदगांव के अधिकार क्षेत्र में वाहनों की जांच के लिए दो उड़न दस्ते (फ्लाइटिंग स्क्वैड) तैनात किए हैं। डिप्टी आरटीओ मालेगांव कार्यालय द्वारा मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मोटर वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

अपराध का विवरण	अवधि			
	अप्रैल 2024 - फ़रवरी 2025		मार्च 2025	
	रिपोर्ट किए गए वाहन	कंपाउंडिंग फीस (रु. में)	रिपोर्ट किए गए वाहन	कंपाउंडिंग फीस (रु. में)
सामान का ओवरलोड	725	2,46,19,000	90	17,34,000
बिना लाइसेंस के वाहन चलाना	874	32,10,000	20	15,000
बिना फिटनेस के वाहन चलाना	930	25,16,000	31	49,500
ओवर डाइमेंशन कंसाइनमेंट	23	2,87,500	12	2,40,000
बिना हेलमेट के वाहन	4332	11,98,500	108	45,000

चलाना				
बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन	599	3,18,000	30	20,000
अवैध संचालन	12	1,56,000	1	10,000
बिना सीटबेल्ट के वाहन चलाना	43	21,000	1	1,000
ओवर स्पीड ड्राइविंग	4508	8,70,000	828	6,54,000
नशे में वाहन चलाना	16	50,000	0	0
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना	89	38,000	4	2,000
ओवरलोड यात्री	14	28,000	1	2,000
परमिट शर्त का उल्लंघन (ऑटोरिक्शा)	35	1,96,500	4	2,000
परमिट शर्त का उल्लंघन (टैक्सी)	18	95,000	2	1,000
परमिट शर्त का उल्लंघन (बस)	92	7,93,500	40	22,000
बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन	1326	8,18,000	20	24,000
बिना बीमा वाले वाहन	264	3,72,000	20	26,000
अन्य अपराध	392	34,73,000	63	2,16,000
कुल	14292	3,90,60,000	1275	30,63,500

इसके अलावा, व्यस्त समय में मुंबई की सड़कों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
